UPBJ010053702026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0,एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार सिंह III-UP06076

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1946/2026

मोनू अहमद पुत्र शाहिद, निवासी ढेला अहीर, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन

मु0अ0सं0–182/2026
धारा–64(1) बी0एन0एस0 व
3(2)5 एस.सी.,एस.टी. एक्ट
थाना–नूरपुर, जिला बिजनौर।

दिनांक 15–06–2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त मोनू की ओर से, विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 182/2026 धारा 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त दिनांक 21–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

तर्क

2– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लेख करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी को झूँठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। तथाकथित घटना रात्रि में ईंख के खेत में जंगल में बतायी गयी है, रोशनी का कोई वर्णन नहीं किया है, जो अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई जातिसूचक शब्द प्रयोग किये जाने का वर्णन नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भी महिला अकेले सूनसान जंगल में बिना किसी परिवार के सदस्यों को साथ लिये नहीं जा सकती है। प्रार्थी का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को अनुसूचित जाति का जानते हुए उसके साथ बलात्कार किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2026.06.15 16:21:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रवण एवं परिशीलन

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादिनी मुकदमा को जमानत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त है परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है

संक्षिप्त तथ्य(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

5– संक्षेप में वादिनी मुकदमा श्रीमति स्वाति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 18–05–2026 को उसके पति गौरव प्रधान जी के खेत में पानी चला रहे थे। देर होने पर जब उसके पति घर नहीं लौटे तो रात्रि करीब 11:00 बजे वह अपने पति को देखने खेत पर गयी थी तभी पीछे से मोनू पुत्र शाहिद निवासी ग्राम ढेला अहीर थाना नूरपुर जिला बिजनौर ने आकर उसे पकड लिया तथा ईंख के खेत में उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके पति के आने पर मौके से भाग गया।

6– वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर में प्राथमिकी मु0अ0सं0 182/2026 अन्तर्गत धारा 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0

7– विवेचना के दौरान पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 अंकित किया गया, जिसमें उसने निम्न प्रकार कथन किया ''सोमवार के दिन मेरे पति खेत पर भराई कर रहे थे। मैं उन्हें रात 11:00 बजे देखने चल गयी। वो मिले नहीं। मैं आगे को चलती रही कि मेरे HUSBAND कुंआ बन्द करने गये हैं। मोनू S/O नहीं पता मुझे पीछे से पकडा और ईंख के खेत में ले गया, मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने मदद की आवाज लगायी पर किसी ने नहीं सुनी। मेरे पति वहां पहुंच गये तो मेरे पति को देखकर भाग गया।''

निष्कर्ष

8– अभियुक्त पर पीडिता के साथ बलात्कार करने का अभियोग है। पीडिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों का अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में समर्थन किया गया है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। अतः गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। अतः अभियुक्त मोनू का यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 15–06–2026

(सुनील कुमार सिंह III)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी.,एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, बिजनौर।
J.O.Code U.P.-6076